[न्याय]ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
[पी]ठासीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
[प्रार्थ]ना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए
[प्रक]रण संख्या 08 / 2023

1 परमजीत पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण सा रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1 विमला पत्नी रामप्रताप जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
2 अमरजीत पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण सा.रतनपुरा तहसील संगरिया।
3 प्रमोद पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण सा. रतनपुरा तहसील संगरिया।
4 प्रकाश पुत्री रामप्रताप पत्नी सन्तोष जाति ब्राहम्ण सा.गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।
5 प्रमिला पुत्री रामप्रताप पत्नी भागीरथ जाति ब्राहम्ण सा.हनुमानगढ तहसील हनुमानगढ।
6 तहसीलदार राजस्व संगरिया।
7 उप पंजीयक संगरिया।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि रामप्रताप पुत्र जैसाराम के वारिसान है। प्रार्थी के तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पति रामप्रताप पुत्र जैसाराम के नाम मौजा गांव चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.) मे खेवट संख्या 14 खतौनी संख्या 1008 / 1125 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रामप्रताप पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज उक्त आराजी राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद अधिग्रस्ति की गई उक्त आराजी का मुआवजा रामप्रताप पुत्र जैसाराम को राज्य सरकार द्वारा दिया गया। जिसका नोट उक्त खेवट में अंकित है। उक्त मौजा गांव चाटौला के उक्त खेवट की तथा मुआवजा में दी गई राशि की प्रमाणित प्रति सलग्न है। प्रार्थी के पिता रामप्रताप पुत्र जैसाराम द्वारा गावं चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा से मुआवजा मे प्राप्त उक्त राश्शि की एवज मे तहसील संगरिया के चक 6 एमजेडी में कुल 2.024 है. यानि 8 बिघा आराजी खरीद कर प्रार्थी की तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की माता अप्रार्थी संख्या 1 विमला पत्नी रामप्रताप के नाम राजस्व रिकार्ड में करवा दी थी। उक्त चक 6 एमजेडी के खाता संख्या 9 / 30 खाता अमनदीप सिह वगैरा ज.स. 2071–2074 की जमाबन्दी संलग्न है। दावा की दफा की 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 विमला पत्नी रामप्रताप के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 विमला पत्नी रामप्रताप के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी तथा अप्राथी संख्या 2 ता 5 के पिता रामप्रताप पुत्र जैसाराम को गांव चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा से अधिग्रहित आराजी से प्राप्त मुआवजा की एवज में प्राप्त हुई है। जो कि प्रार्थी तथा अप्राथी संख्या 2 ता 5 की जददी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का उनकी माता प्रति संख्या 1 के साथ जन्म से ही वहिब का विरासतन हक व हिस्सा बनता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी के प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 जन्म से ही बहिब के विरास्तन हकदार है। कि[illegible] हक व हिस्सा का परित्याग प्रार्थी तथा अप्राथी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कर दिया है [illegible] संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बहिब के खा[illegible] अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री [illegible] करने का अधिकारी व दावेदार है। दावा की दफा 3 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता तथा अप्रार्थी स[illegible] 1 के पति तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता रामप्रताप पुत्र जैसाराम को गांव चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा मे अधिग्रहित की गई आराजी के मुआवजा से प्राप्त राशि की एवज में उनकी पत्नी तथा प्रार्थी की तथा अप्रार्थी सख्या 2 ता 5 की माता अप्रार्थी सख्या 1 विमला पत्नी रामप्रताप के नाम दर्ज राजस्व रिकाडं है। जो कि प्रार्थी की जददी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.22 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...दाद है। लेकिन अप्राथी संख्या 1 विमला पत्नी रामप्रताप उक्त वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज होने का
...जायज फायदा उठाकर चक 6 एमजेडी की उक्त 2.024 है. आराजी को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरित
...ने की फिराक मे है। यदि अप्राथी संख्या 1 अपनेनाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी को अनजान व्यक्तिओ
...tranger persones) को रहन बैय या किसी भी अन्य तरिके से अन्तरित कर देती है तो प्रार्थी अपने विरासतन
...धिकारो के स्वतंत्र उपयोग तथा उपयोग से पूर्णतयां वंचित हो जायेगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन मे नही आंकी जा
...सकेगी। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि चक 6 एमजेडी के खाता संख्या 9/30 खाता अमनदीप सिंह वगैरा ज.स. 2071–74 मे अप्रार्थी संख्या 1 विमला पत्नी रामप्रताप के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व किसी भी अन्य तरीके से अन्तरित करने से निषेध रहे।

उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर एक पक्षीय बहस सुनने के बाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 एमजेडी में कुल 2.024 है. यानि 8 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वंय की खरीदशुद्वा कृषि भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 का स्त्रीधन है जो अप्रार्थी संख्या 1 के भरण–पोषण हेतु क्रय की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के उपरांत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 को 1/5 हिस्सा मिलना है इससे पूर्व उक्त कृषि भूमि मे न तो प्रार्थी का हिस्सा है और ना ही अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का कोई हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की पैतृक कृषि भूमि नही है अप्रार्थी संख्या 1 की स्वंय खरीदशुद्वा भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 का स्त्रीधन है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 अपनी आवश्यकतानुसार अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वंत्रत है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पूर्णतः सिद्व है। इसलिए प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष पाने कर अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.02.2023 को अनवरत किया जाकर ताफैसला कन्फर्म किया जाने के कथन किये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि चक 6 एमजेडी खाता संख्या 9/30 में वर्णित कृषि भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थी पक्ष द्वारा मनगढत तथ्य पेश कर बदनियति से हासिल की गई है जो किसी कदर अनवरत किये जाने योग्य नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने का निवेदन किया गया। यह भी कथन किया कि प्रार्थी स्थगन की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों का न केवल हनन कर रहे है। अपितु अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व महिला जो न्यायालय में हाजिर होने लायक नही अपितु चल फिर नही सकती उसको तंग व परेशान करने की नियत से बदनियति पूर्वक एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी 1 के खिलाफ स्थगन आदेश हासिल किया जो प्रभावशील रखा जाना कतई उचित [illegible] और निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर भली भांति मनन किया गया। पत्रावली [illegible] गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय प्रभावी स्थगनादेश अनवरत किए जाने पर इसलिए सहमत नही होता है क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible]दार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशधारी कब्जे मे होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 निर्बाध रूप से एकल रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नही किया जा सकता है। किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.22 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
... अधिकारी

मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश अनवरत् किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत नही होता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या जागर भी नही होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी न तो सुविधा का सन्तुलन व न ही अपूर्णीय क्षति साबित करने में सफल रहा है, इसलिए अस्थाई व्यादेश दिनांक 14.02.2023 को अनवरत किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी अपना प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 14.02.2023 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। प्रत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

यह आदेश आज दिनांक 5.11.2024 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर
एवं उपखंड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.22 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested